न्यायालय उपखण्ड बस्सी, जयपुर, राजस्थान।
भगवानसहाय बनाम ग्राम पंचायत मोहनपुरा व अन्य

अपील - धारा 75 एल.आर.एक्ट

..../2021

दिनांक	आदेश विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
../2/22	पत्रावली आज पेश हुई। अपीलान्ट हाजिर। केस नामान्तरकरण प्राप्त है। इसकी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा - 5 मियाद अधिनियम पर अपीलान्ट को सुना गया। दौराने बहस जाहिर तथ्यों एवं प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर देरी के कारणों को समुचित मानते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा - 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। नामान्तकरण अपील पर बहस सुनी गई। अपीलार्थी ने दौराने बहस जाहिर किया कि अपीलार्थी को अधीनस्थ नामान्तकरण अधिकारी ने सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश पारित किया गया है। जिसमे उसका नाम बाबूलाल पुत्र कल्याण दर्ज कर दिया गया है जबकी अपीलार्थी का वास्तविक नाम भगवान सहाय पुत्र कल्याण सहाय है। जिसके प्रमाण मे अपीलार्थी ने विभिन्न दस्तावेज भी पेश किये है।	
	दौराने बहस जाहिर तथ्यो, मूल नामान्तरकरण तथा पत्रावली पर उपलब्ध अन्य रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिए बिना निर्णय पारित कर प्रक्रियात्मक त्रुटी की है।	
	अतः अधिनस्त न्यायालय को आदेश दिया जाता है कि पुनः अपीलार्थी को सुनवाई	

(हस्ताक्षर)
उप खण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)

	आज्ञा विस्तृत रूप से		विशेष विवरण
	का अवसर देते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। अपीलाधीन निर्णय अपास्त किया जाता है। तहरीर एवं मूल नामान्तरकरण तहसीलदार बस्सी को जारी हो। फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होने पर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)		